

मध्य प्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
भोपाल-मंत्रालय

क्रमांक 177/1829/2015/26-2  
प्रति

भोपाल दिनांक 13/8/2015

समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश,


विषय:-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम में संशोधन कर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:-मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का आपन क्र.856/1112/06/26-2 दिनांक 12/6/2006

-----0-----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धन, जरूरतमंद, गिराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की योजना "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" के नाम से चलाई जा रही है।

अब यह योजना "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना" के नाम से जानी जायेगी।


  
12.8.15  
(बबीता वसुनिया)  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग

पृष्ठांक 1171/1829/2015/26-2  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 13/8/2015

- 1 सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- 2 विशेष सहायक/निज सचिव समस्त मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
- 3 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा उद्योग विभाग।
- 4 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।
- 5 आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।
- 6 समस्त रांभाग आयुक्त, अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- 7 समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
- 8 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 9 समस्त महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मध्यप्रदेश।

  
12.8.15  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन  
कल्याण विभाग